आग का लिबास

(Hindi translation of the book
'Garment of Fire' written by Zeya Khan)

कोई कॉपीराइट नहीं–

कोई भी इस किताब या इसके किसी भाग को बिक्री या मुफ़्त तक़सीम के लिए दुबारा इसकी छपाई, किसी भी भाषा में अनुवाद या फोटोकॉपी कर सकता है। इसके लिए किसी इजाज़त या रक़म की जरूरत नहीं है।

सॉफ्टकॉपी के लिए– zeyakhan@rediffmail.com

तारीख़– 9 सितंबर, 2023

हमारी और भी किताबें–

- *The Road to Falah*
- *The Road to Falah Let's Go Back*
- *Islamophobia*
- *Some Islamic Guidance for a Better Society*
- *To My Christian Brothers and Sisters*
- *Heroes That Time Forgot*
- *Unity in Muslim Ummah*
- *Salaah*

CENTRE FOR ISLAMIC RESEARCH

Near Water Pump House, New Parastoli,

Doranda, Ranchi 834002, Jharkhand, India

आप हमारी सभी किताबें और लेख हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं–

cirglobal.org

بسم الله الرحمن الرحيم

''इल्म की खूबी उस पर अमल करने में है''

''बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है....'' (क़ुरआन-33:21)

इस्बाल (टख़नों से नीचे कपड़ा पहनना)

इज़ार (कमर से नीचे का पहनावा)

इस्बाल के मसले पर पहले भी बहस होती रही है और अभी भी इसके सख़्त मनाही की साफ दलील होने के बावजूद मुसलमानों के बीच इस पर बहस जारी है। ज़्यादातर मुसलमान टखनों के नीचे कपड़ा पहनते हैं। कई लोग दलील देते हैं कि यह एक मामूली मसला है। ज़्यादातर लोग यह दावा करते हैं कि अगर ऐसा तकब्बुर के वजह से किया जाए तब यह हराम है और कहते हैं कि मैं उनमें से नहीं हूँ। आइए इस्बाल की बहस की शुरुआत शेख बिन बाज़ (रहमतुल्लाह अलैह) के फ़तवे से करते हैं जिनसे इस्बाल के बारे में पूछा गया।

शेख बिन बाज़ (रहमतुल्लाह अलैह) का फ़तवा :—

जब उनसे पूछा गया कि तकब्बुर के साथ या बिना तकब्बुर के टखने से नीचे कपड़ा लटकाने के बारे में क्या हुक्म है? अगर किसी को उसके परिवार के ज़रिया या रीति-रिवाज के चलते ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाए तो क्या हुक्म है?

जवाब :—

इसका हुक्म यह है कि मर्दों के लिए ऐसा करना हराम है (औरतों के लिए इसका उल्टा हुक्म है), क्योंकि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया,

"टखनों के नीचे जो कुछ भी है वह आग में है।" (सहीह बुख़ारी-5787)

हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से रिवायत है कि अल्लाह के नबी (ﷺ) ने फरमाया: ***''अल्लाह पाक (क़ियामत के दिन) तीन आदमियों से न बात करेगा और न ही उन की तरफ नज़र उठा कर देखेगा और न ही उन्हें (गुनाहों से) पाक करेगा, बल्कि***

उन्हें दर्दनाक अज़ाब देगा, पहला अपने इज़ार को टखनों से नीचे लटकाने वाला, दूसरा एहसान करके जतलाने वाला और तीसरा झूठी क़सम खा कर अपना माल बेचने वाला।'' (सहीह मुस्लिम-106)

ये दो हदीसें, जिनका मतलब आम है, और यह उन लोगों के लिए है जो अपना कपड़ा अपने टखनों के नीचे लटकाते हैं, भले ही ऐसा तकब्बुर के चलते हो या न हो, क्योंकि नबी (ﷺ) ने इन हदीसों को बिना किसी शर्त के आमतौर पर बयान किया है। इसके अलावा एक और हदीस है जिसमें नबी (ﷺ) ने कोई शर्त नहीं लगाई है। नबी (ﷺ) ने फरमाया, ***"इज़ार को नीचे लटकाने से बचो क्योंकि यह तकब्बुर है"*** (अबू दाऊद: 4084)

इसलिए, नबी (ﷺ) ने इस्बाल के तमाम सुरतों को तकब्बुर बताया है। जहाँ तक उस मामले की बात है जब अबू बक्र (रज़ि.) ने कहा, ***"मेरे तहबन्द का एक सिरा ढीला होकर लटक जाता है, हालाँकि मैं इसका बहुत ख़याल भी रखता हूँ (कि लटकने न***

पाए) आप (ﷺ) ने फ़रमाया: तुम उन में से नहीं हो जो तकब्बुर से ऐसा करते हैं।"(अबू दाऊद: 4085)

तो नबी (ﷺ) की इस बात से मुराद यह है कि कोई शख़्स अपना इज़ार ढीला होने की सुरत में ऊपर उठाने की कोशिश करता है, तो वह उनमें से नहीं है जो तकब्बुर की वजह से अपना इज़ार लटकाता है। क्योंकि वह सिर्फ उसे रोक नहीं सकता है, जब उसे उठाने की कोशीश करता है तो वह नीचे लटक जाता है। इसलिए इसमें को शक नहीं कि यह एक जायज़ वजह है। रही बात उस शख़्स की जो जानबूझकर टखनों से नीचे कपड़ा लटकाता है, चाहे वह बुश्टा, पैंट, शर्ट, या इज़ार हो, तो यह इस्बाल में आता है, और यह किसी भी जायज़ वजह से बाहर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस्बाल से मना करने वाली सही हदीसें लफ्ज़, मतलब और मकसद में आम हैं। इसलिए हर मुसलमान (मर्द) पर वाजिब है कि वह इस्बाल से बचे, इस मामले में अल्लाह का तक़वा रखे और सही हदीसों की रोशनी में अपने

कपड़ों को टखनों से नीचे न होने दे जो अल्लाह के ग़जब और अज़ाब से डराती है। (फ़तावा इस्लामिया भाग-7 पेज 373-375)

अब इस बहस को आगे बढ़ाते हुए आइए कुछ हदीसों और उनके तशरीह पर गौर करें।

पहली हदीस :–

सबसे पहले अबू बक्र (रज़ि.) की हदीस जो ज़्यादातर मुसलमानों के बीच इस्बाल पर अमल की बुनियाद है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया ***"जो शख़्स तकब्बुर की वजह से तहबन्द घसीटता हुआ चलेगा अल्लाह पाक उसकी तरफ क़ियामत के दिन नज़र भी नहीं करेगा। हज़रत अबु बक्र (रज़ि.) ने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल मेरे तहबन्द का एक हिस्सा कभी लटक जाता है मगर ये कि मैं खास तौर से इसका ख़्याल रखा करूँ, आपने फ़रमाया आप उन लोगों में से नहीं जो ऐसा तकब्बुर से करते हैं।"*** (सहीह बुख़ारी-5784)

इस हदीस से हमें ये चन्द बातें मालूम होती है-

1. अबू बक्र (रजि.) को पता था कि कपड़ों को टखने के नीचे रखने की मनाही है, इसीलिए वह उन्हें टखनों के ऊपर रखने का ध्यान रखते थे।

2. उनकी पतली कमर के वजह से उनका इज़ार नीचे फिसल जाता था। (आम नज़रिया के उल्टा अबू बक्र (रज़ि.) एक दुबले-पतले इंसान थे ना कि बड़े पेट वाले जैसा कि कई लोग अपने बड़े पेट को सही ठहराने के लिए इसको दलील बनाते हैं)।

3. उन्होंने अपना इज़ार इतना लम्बा नहीं बनवाया कि वह उनके टखनों से नीचे जा सके। वह सिर्फ नीचे खिसक जाता था।

जब नबी (ﷺ) ने उन्हें तकब्बुर के बारे में बताया, तो उन्होंने (अबू बक्र) नबी (ﷺ) से कहा कि <u>अगर वह ध्यान नही रखते हैं</u> तो उनका इज़ार उनके दुबलेपन के वजह से फिसल जाता है और वह इसे वापस खींच लेते हैं, इससे यह भी साबित होता

है कि वह इज़ार को टखनों से ऊपर रखने के फ़र्ज़ीयत को जानते थे। इसीलिए वह इसे टखने के ऊपर रखने का ध्यान रखते थे (क्योंकि उनके नज़दीक नबी (ﷺ) एक नमूना (आदर्श) थे जो अपने इज़ार को पिंडली तक रखते थे)।

अबू बक्र (रज़ि.) अपने इज़ार को इस तरह से नहीं बांधते थे कि वह उनके टखनों के नीचे लटका रहे, बल्कि इस तरह बांधते थे कि वह उनके टखनों के ऊपर रहे, लेकिन वह नीचे फिसल जाता था।

कोई भी इंसान गुरुर और तकब्बुर से पूरी तरह पाक नहीं है, भले ही वह दावा करता हो कि वह ऐसा नहीं है। ऐसा दावा मानने लायक नहीं है क्योंकि ऐसा दावा करके वह अपनी ही तारीफ कर रहा है।

अबू बक्र (रज़ि.) को यह इज़्ज़त हासिल था कि उन्होंने खुद नबी (ﷺ) से यह सनद लिया था कि उनके अंदर कोई तकब्बुर नहीं है। (जबकि आज कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता), तब भी वह अपना इज़ार ऊपर खींच लेते थे।

दूसरी हदीस :–

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया ***"तहबंद का जो हिस्सा टखनों से नीचे लटका हो वो जहन्नम में होगा।"*** (सहीह बुख़ारी-5787)

इस हदीस में हमें तकब्बुर का कोई ज़िक्र नहीं मिलता। नबी (ﷺ) ने साफ तौर से कहा कि टखनों के नीचे के कपड़े आग में है।

तीसरी हदीस :–

इस्बाल करने के सभी दलीलों को रद्द करने के लिए आगे की हदीस हैं-

हज़रत जाबिर इब्न सुलेम फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने मुझसे फ़रमाया, ***"टखनों से नीचे कपड़ा पहनने से बचो, क्योंकि यह एक तरह का दिखावा है, और अल्लाह दिखावा पसंद नहीं करता है।"*** (तिर्मिज़ी-2722)।

इस हदीस में, नबी (ﷺ) ने बिना किसी शर्त कहा कि इज़ार को टखने के नीचे पहनना अपने

आप में तकब्बुर है। (ये हदीस इस्बाल के मनाही की साफ दलील है)।

चौथी हदीस :–

उबैद बिन ख़ालिद (रज़ि.) कहते हैं, *"मैं अपने बुर्द (एक काला बाहरी पहनावा) को खींचते हुए चल रहा था, एक आदमी ने मुझसे कहा, "अपना कपड़ा उठाओ, क्योंकि यह साफ रहेगा और लंबे वक्त तक चलेगा।" "तो मैंने देखा (यह देखने के लिए कि मुझसे कौन बात कर रहा है) और वह नबी (ﷺ) थे। मैंने कहा, "यह सिर्फ काले और सफेद धागे का (बाहरी लिबास) है।" तो उन्होंने (ﷺ) कहा, "क्या मैं तुम्हारे लिए नमूना नहीं हूँ?" उन्होंने (उबैद) कहा, "मैंने नबी (ﷺ) की ओर देखा और उनका इज़ार उनकी पिंडलियों के बीच तक था।"* (शमाइल तिर्मिज़ी,-120, मुख़्तसर अल शमाइल अल अल्बानी-97)।

इस हदीस में हम देखते हैं कि नबी (ﷺ) ने सहाबी को यह हुक्म दिया कि अपना कपड़ा पहनने

का तरीक़ा नबी (ﷺ) से सीखें और हम यह भी पाते हैं कि नबी (ﷺ) जिन्हें कुरआन में अल्लाह ने '**रहमतुल-लिल-आलमीन**' का लक़ब दिया वो भी अपना इज़ार अपने टखनों के **ऊपर** यानी पिंडली के बीच तक रखते थे।

पाँचवी हदीस :–

हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) से रिवायत है, ***"अल्लाह के नबी (ﷺ) ने मेरी या अपनी पिंडली पकड़ा और फ़रमाया, "यह इज़ार की जगह है, अगर इस पर सहमत ना हो तो थोड़ा और नीचे कर लो, फिर अगर और नीचा करना चाहो तो इज़ार टखनों से नीचे नहीं कर सकते।"*** (तिर्मिज़ी-1783)।

इस हदीस में, हम पाते हैं कि नबी (ﷺ) ने तकब्बुर के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया और इस्बाल की हुरमत को सख़्ती से लागू किया।

छठी हदीस :–

हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) फ़रमाते हैं ***"मैं अल्लाह के नबी (ﷺ) के पास से गुज़रा उस वक्त मेरी***

तहबन्द लटक रही थी तो आप ने फरमायाः ऐ अब्दुल्लाह! अपनी तहबन्द ऊपर कर लो, चुनान्चे मैं ने ऊपर कर लिया। आपने फरमायाः और ऊँची करो, तो मैं ने और ऊँचा कर लिया। फिर (हमेशा) ऊँची ही करके पहनता था। लोगों ने पूछाः कहाँ तक रखना चाहिए? इब्ने उमर रज़ि. ने कहाः आधी पिंडली तक।" (सहीह मुस्लिम-2086)

इस हदीस में हम नबी (ﷺ) को सहाबी को इज़ार की लंबाई के बारे में हिदायत देते हुए पाते हैं। इस हदीस से यह भी पता चलता है कि सहाबा (रज़ि.) किस कदर नबी (ﷺ) की इताअ़त करते थे। नबी (ﷺ) ने सहाबी (रज़ि.) से यह नहीं पूछा कि तुम्हारे अंदर तकब्बुर है या नहीं बल्कि उन्होंने (ﷺ) सिर्फ इज़ार को ऊपर रखने का हुक्म दिया। क्या नबी (ﷺ) का मतलब यह था कि उन्में तकब्बुर था? **साफ तौर पर नहीं और हरगिज़ नहीं।**

हज़रत उमर (रज़ि). की मिसाल :–

खरशाह बिन हुर (रज़ि.) ने फरमाया कि, *"हज़रत उमर बिन अल-खत्ताब (रज़ि.) ने एक आदमी को अपने इज़ार को टखनों के नीचे घसीटते हुए देखा, तो उन्होंने कहा, "क्या तुम्हें हैज़ आ रहा है?" उस आदमी ने कहा, "ऐ अमीरुल-मोमिनीन, क्या किसी आदमी को हैज़ आता है?" उन्होंने कहा, "हाँ, अगर तुम अपना इज़ार को टखने से नीचे लटका दो, क्योंकि इस्बाल (टखने के नीचे के कपड़े पहनना) केवल औरतों के लिए है।" खरशाह (रज़ि.) ने फिर कहा, "तो हज़रत उमर एक ब्लेड या कैंची लेकर आए और टखनों से नीचे लटके हुए को काट दिया।"* (मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, 8/393)।

इस हदीस से हमें पता चलता है कि हज़रत उमर (रज़ि.) न केवल इस्बाल के मसले को औरतों के कपड़ों से जोड़ रहे थे, बल्कि इसकी हुरमत को **जबरदस्ती** लागू करने के लिए काफी सख़्त थे।

एक लम्बी हदीस जिसमें हज़रत उमर (रज़ि.) की शहादत का जिक्र है जिसको अम्र बिन मैमुन (रज़ि.) ने रिवायत किया है,

वह फरमाते हैं, *"...जब लोगों को एहसास हुआ हज़रत उमर (रज़ि.) अब नहीं बचेगें तो वे उनके अ़यादत के लिए आने लगे... एक नौजवान आया और उनकी अ़यादत करने के बाद वापस जाने के लिए मुड़ा, हज़रत उमर (रज़ि.) ने उसे वापस बुलाया और कहा, "ऐ मेरे भाई के बेटे! अपना कपड़ा उठाओ, इससे तुम्हारे कपड़े साफ रहेंगे और तुम अपने रब की सजा से बच जाओगे।"* (सहीह बुख़ारी-3700)।

हज़रत उमर (रज़ि.) की इस हदीस से हमें समझना होगा कि निहायत दर्द में और शहादत के कगार पर होने के बावजूद, उन्होंने इस जरुरी मसले पर जोर दिया। हज़रत उमर (रज़ि.) को पता था कि इस्बाल जहन्नुम की आग को बुलावा देती है।

वे लोग जिनसे अल्लाह क़ियामत के दिन बात नही करेगा :–

अगर कोई अपने कपड़े को **बिना तकब्बुर** के टखने से नीचे गिरने देता है, तो उसे सिर्फ टखने के नीचे के बुनियाद पर जहन्नुम की आग से **सज़ा** दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई इसे **तकब्बुर** के साथ करता है, तो उसे और भी कड़ी सज़ा दी जाएगी... अल्लाह उसकी ओर नही देखेगा, न ही उससे बात करेगा, और न ही उसे पाक करेगा और उसके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा।

हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से रिवायत है कि अल्लाह के नबी (ﷺ) ने फरमायाः ***"अल्लाह पाक (क़ियामत के दिन) तीन आदमियों से न बात करेगा और न ही उन की तरफ नज़र उठा कर देखेगा और न ही उन्हें (गुनाहों से) पाक करेगा, बल्कि उन्हें दर्दनाक अज़ाब देगा, पहला अपने इज़ार को टखनों से नीचे लटकाने वाला, दूसरा एहसान करके***

जतलाने वाला और तीसरा झूठी क़सम खा कर अपना माल बेचने वाला।" (सहीह मुस्लिम-106)

मैं जानता हूँ कि उलेमा इस मसलें पर बंटे हुए हैं। एक गिरोह का कहना है कि यह मकरुह है (यहाँ तक कि जो लोग इसे मकरुह कहते हैं वे इस बात से सहमत हैं कि कपड़ों को टखनों के ऊपर रखना मुस्तहब (मुस्तहसन सुन्नत) है)। दूसरे गिरोह का कहना है कि यह हराम है। अलग-अलग मज़हब के कुछ मुमताज़ उलेमा जो मानते हैं कि यह हराम है-

- **हनफ़ी मज़हब से**- अशरफ अली थानवी, मुफ्ती तकी उस्मानी वगैरह ने **हराम** कहा है।
- **मालिकी मज़हब से**- इब्न अरबी वगैरह ने **हराम** कहा है।
- **शाफ़ी मज़हब से**- हाफ़िज़ इब्न हजर असकलानी वगैरह ने **हराम** कहा है।
- **हम्बली**- शेख बिन बाज़, शेख उसैमीन, शेख जिबरीन वगैरह ने **हराम** कहा है।

इमाम ज़हबी ने अपनी किताब '**किताब अल-कबायर**' में 54वें नंबर पर इस्बाल का जिक्र किया है जो लगभग 70 बड़े गुनाहों के बारे में है।

हाफ़िज़ इब्न हजर असकलानी (रहीमहुल्लाह) ने अपनी बहतरीन किताब 'फ़त अल-बारी' में इस हदीस (सहिह बुख़ारी, संख्या 5784) की तशरीह में इस्बाल के मसले पर बहुत लम्बी बहस की है और ज्यादातर मुनासिब हदीस, सहाबा और मुमताज़ उलेमा के अक़वाल को सामने लाए हैं, जो बिना किसी शक के साबित करता है कि इस्बाल हराम है। उन्होंने हज़रत मुग़ीरा बिन शुबा (रज़ि.) की एक रिवायत का भी जिक्र किया है जिसे इमाम नसाई, इब्न माजा और इब्न हिब्बान ने दर्ज किया है कि नबी (ﷺ) ने फरमाया ***"इस्बाल (टखनों के ऊपर कपड़ा लटकाना) न करो, बेशक अल्लाह ऐसा करने वालों को पसन्द नह करता।"***(फत अल-बारी, भाग-11, पेज-217-19)।

जाने-माने मालिकी आलिम हाफ़िज़ इब्न अरबी (रहीमहुल्लाह) कहते हैं, *"किसी शख़्स के लिए यह जायज़ नहीं कि वो अपना इज़ार अपने टखनों से नीचे रखे और यह दावा करे कि वह तकब्बुर की वजह से ऐसा नहीं करता, तो ऐसा दावा कबूल करने के लायक नहीं है क्योंकि ये अमल अपने आप में तकब्बुर है।"* (फत अल-बारी, भाग-11, पेज-217)।

खुलासा :-

चूंकि तकब्बुर खुद अपने आप में हराम है, इसलिए तकब्बुर के साथ या उसके **बिना** टखने से नीचे कपड़ा पहनने का कोई मतलब नहीं है।

इस नस्ल में से कोई भी इस फैशन (इस्बाल) का डिजाइनर नहीं है, वह सिर्फ दूसरों के फैशन की नकल कर रहा है, तो क्यों न **सबसे बहतरीन** शख़्सियत यानी हमारे प्यारे नबी (ﷺ) की नकल की जाए।

क्या हमारे प्यारे नबी (ﷺ) में तकब्बुर था? और हम बेशक जानते हैं कि वे (ﷺ) तकब्बुर से

पाक थे। क्या अबू बक्र, उमर, उस्मान, अली (रज़ि.) या दूसरे सभी सहाबा में तकब्बुर था, और जवाब है हरगिज़ नहीं, तो क्या इस्बाल करने वाले उनसे बेहतर हैं?

जहां तक उन लोगों के दावों का सवाल है कि फलां इमाम या शेख ने दावा किया है कि इस्बाल में कोई नुकसान नहीं है, तो मेरा जवाब यह है कि **इमाम उल अम्बिया,** जो यक़ीनन तौर पर **तकब्बुर से पाक** शख्स थे, अपने इज़ार को अपने टखनों के ऊपर पिंडलीयों तक पहनते थे।

एक जरूरी बात यह है कि इस्लाम में अक्सरियत की राय/अमल की दलील (सबूत) नहीं है, बल्कि कुरान और हदीस की रोशनी में जो सही है वह है। हमें सहाबा के तरीके को अपनाना चाहिए कि वे किस तरह नबी (ﷺ) की इताअ़त करते थे, न कि उनका जो अपनी खूबसूरत तक़रीरों से हमें नबी (ﷺ) की मिसाल और इताअ़त से दूर कर देते हैं,

वर्ना होशियार रहें, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों क्योंकि अल्लाह ने कुरआन में फ़रमाया है-

"और जब अल्लाह और उसके रसूल किसी मामले में फैसला कर दें तो किसी मुसलमान मर्द और औरत के लिए इस बारे में कोई और फैसला कबूल करने का इख़्तयार बाक़ी नहीं रहता, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी करेगा वो खुली गुमराही में मुबतला हो जाएगा।" (कुरआन-33:36)

और

"जो शख़्स हिदायत की राह वाज़ेह हो जाने के बाद रसूल की मुखालफ़त करेगा और मोमिनों की राह को छोड़कर किसी दूसरी राह की इत्तेबा करेगा, तो वो जिधर जाना चाहेगा हम उसे उसी तरफ फेर देंगे और जहन्नुम में डाल देगें और वह बहुत ही बुरा ठिकाना होगा।" (कुरआन-4:115)

आखिर में, मेरे प्यारे भाइयों को एक नेक सलाह, टखनों के ऊपर इज़ार / पैंट पहनने का चलन / फैशन

बनने से पहले नबी (ﷺ) का हुक्म मानें और उस पर अमल करें क्योंकि तब आप नबी (ﷺ) की इताअ़त में नहीं बल्कि **फैशन** में ऐसा कर रहे होंगे। इसके अलावा, कोई भी समझदार और संजीदा शख़्स सिर्फ 2-3 इंच कपड़े के चलते **जहन्नुम की आग** का खतरा नहीं उठा सकता। तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इस पर गौर करें।

अल्लाह हम सबको हिदायत दें। और अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखें।

***